

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

संलग्नक: दिनांक: 12-08-2023

:-कार्यालय स्तर:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित द्विप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4455-BANARAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC & ENGINEERING			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3098/अ/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित सम्स्त संस्थानों की ओर के विस्तृत सामाजिक न्यायवाचक में पंजीकृत ग्रेड वाणिज्य संख्या 5027/2023 में सामाजिक न्यायवाचक के अंतिम निर्णय के अधीन स्वच्छता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मालिक के अनुरूप संस्थान में सम्स्त संस्थागत (भूमि, श्रम, लेब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमकारी 1992, विनियमकारी-2000, सेग्रेगटेड विनियमकारी-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता जाकरवाक होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक- 30/08/2022

:-कार्यालय शाय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 90 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4455-BANARAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC & ENGINEERING			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	180	180

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया

कार्यालय,**प्रविधिक शिक्षा परिषद****उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- श्रमिषापरिषद सम्बद्धता/2021/2537

संबन्धक दिनांक- 09/08/2021

कार्यालय जय:

प्रविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा विधिक संव 2021-22 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा संव 2021-22 हेतु प्रविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, सेवा शुल्क वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए संव 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में विचार संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा संव 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसके अतिरिक्त सेवा शुल्क हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

बसना का कोड एवं नाम : 4455-BANARAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC & ENGINEERING, VILL-GAJOKHAR, PHOOLPUR, VARANASI

क्र.सं०	कार्यक्रम का नाम	सं०अर्जुन/सी/टी/ई/ई/सी/सी/आई/ई द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित सीमा शुल्क	परिषद द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित सीमा शुल्क
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	80	80
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	180	180

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या सं०अर्जुन/सी/टी/ई/ई/सी/सी/आई/ई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करने की।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद संव 1962 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करने की तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु सं० 20150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु सं० 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के

अतिरिक्त) हेतु 20-22500-00/- परिवर्तन शुल्क ही चरमक (मर्यादा) में चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यवाही में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर भासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले भासनदेश पत्रादि होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होता। किस निर्धारण समिति द्वारा यदि एच 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की तर्कवलय धरे जाना होगी।

- ✓ संस्था को (3090) पवित्रिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्गेंटिन प्रवेश को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के रिजल्ट यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत भासनदेश के अनुसार निर्देशाण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 00आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, पवित्रिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा पवित्रिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बलान होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की व्यवहार यदि पी.टी.आई. लई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असम्य रहती है तो इस संबंध में समस्त अलाटाईटिव संस्था बन होगा और विभिन्न रूप से नियमों की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पवित्रिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, पवित्रिक शिक्षा निर्देशाण एवं पवित्रिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद सुवर किया जाता है तथा सुवर वाद के संबंध में सा. लघुशासन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बनानी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लक्षणक द्वारा परमेक वर्ष के लिए आसोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कर्डावियालिग प्रायम होने के पूर्व पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा आई प्रवेश की (कॉम्प्लिडिशन के लक्षण से अथवा संस्था स्वयं न सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत शर्तिलक्षण आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की साकल सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को निराल्य-परिधान हेतु उपर्युक्त बालवार्ण उपलब्ध करने के साथ रेविंग टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशाण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-खत, फनीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में समेग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का परोच मिला उत्तरा नवर के लिए बन रही है तो लक्षणक संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के लघुतीय निर्देशाण द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन, परीक्षाखाना, उपकरण एत अन्य साज-सज्जा 00आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनसूचक कार्रवाई की जायेगी।

[सुनील कुमार संजय]

सचिव

पू.सं०- बालिपनरिचट सम्बद्धता 202103538-4809

दिनांक: 09/03/2021

पतादिना:-

पञ्जाबचर्चनियोगक BANARAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC & ENGINEERING, VILL.
GAJOKHAR, PHOOLPUR, VARANASI



[सुनील कुमार संजय]

सचिव